रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 323 (अ).- केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सा.का.नि .863(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2014 में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड-3, उप-खंड (i), तारीख 3 दिसंबर, 2014 में प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014में और उन बातों के सिवाए अधिक्रांत किया है अधिक्रमण किया है या लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-:**

2. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'खाता' से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला जाता है;

(ख) 'खाताधारक' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसके नाम से खाता खोला गया है;

(ग) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5);

(घ) 'बैंक' से इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर अथवा प्राइवेट सेक्टर के वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा से अभिप्रेत है;

(ङ) 'लाभभोगी' से अभिप्रेत है, वह बालिका जो खाता खोलने के समय निवासी भारतीय नागरिक हो और खाता परिपक्व होने अथवा बंद करने तक निवासी भारतीय नागरिक रहती है;

(च) 'जमा' से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो खाताधारक संरक्षक द्वारा इन नियमों के अधीन खाते में जमा की जाती है;

(छ) 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जिसमें व्यक्ति और उसका पति/उसकी पत्नी) इनमें से दोनों अथवा दोनों में से कोई एक जीवित अथवा मृत हो (और उनके बालक, दत्तक अथवा अन्यथा हों;

(ज) 'वित्तीय वर्ष' 01 अप्रैल को आरंभ और 31 मार्च को समाप्त होने वाली समयावधि से अभिप्रेत है;

(झ) 'संरक्षक ' से लाभभोगी का नैसर्गिक अथवा विधिक संरक्षक अभिप्रेत है;

(ञ) 'सरकार' से वित्त मंत्रालय में भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ट) 'ब्याज दर' से ऐसी दर अभिप्रेत है जो भारत सरकार द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए लागू किए जाने के लिए अधिसूचित की जाए;

(ठ) 'परिपक्वता' से खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर खाते की परिपक्वता अभिप्रेत है;

(ड) 'डाकघर' से भारत में स्थित ऐसा डाकघर अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन बचत बैंक का कार्य कर रहा है और खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है;

(ढ) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ण) 'सीबीएस' से अभिप्रेत है, जो कोर बैंकिंग समाधान मंच अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रानिक मंच जो गति बढ़ाने, एकरूपता लाने और प्रचालन मामलों में आसानी के लिए किसी बैंक और/अथवा डाक विभाग के सभी कार्यालयों को, एक साथ अथवा चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रानिक रूप से जोड़ता है।

3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का लागू होना -

डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) के उपबंध उन मामलों, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में लागू किए जा सकेंगे।

4. खाता खोलना

(1) खाता संरक्षक द्वारा लाभभोगी के नाम से खोला जा सकता है जिसकी आयु खाता खोलने की तारीख को दस वर्ष है:

परंतु इन नियमों की बात होते हुए भी 2 दिसंबर, 2003 को अथवा उसके बाद पैदा हुए लाभभोगी को प्रभावित नहीं करेगा जिसका खाता 2 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले खोला गया था।

(2) इन नियमों के अधीन प्रत्येक लाभभोगी का एक खाता होगा।

(3) इन नियमों के अधीन डाकघर अथवा बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन के साथ संरक्षक की पहचान और निवास सबूत होंगे।

(4) इन नियमों के अधीन एक कुटुम्ब में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जाएगा।

परंतु इसी कुटुम्ब में बालिकाओं के लिए दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं यदि कुटुम्ब में जन्म के पहले दो क्रमों में एकाधिक बालिकाओं के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी बालिका जन्म के क्रम में पहली और/अथवा दूसरी हो :

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक दूसरी बालिका के जन्म पर लागू नहीं होगा यदि उस कुटुम्ब में पहले जन्म से दो या अधिक बालिकाएं जीवित हों।